S l. No.	Date of order of proceeding	order with signature of the court	Office Action Taken with Date
1	2	3	4

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–47 / 2016

सुखला मराण्डी पे0–सोमरा मराण्डी – आवेदक

बनाम

सोनामन मुर्मू पे0–स्व0 झुना मुर्मू	विपक्षी सं0–01
मटल मुर्मू पे0–स्व0 झुना मुर्मू	विपक्षी सं0–02
तालो मुर्मू पे0–स्व0 बरका मुर्मू	विपक्षी सं0–03
मोहन मुर्मू पे0–स्व0 बरका मुर्मू	विपक्षी सं0–04
छोटका मुर्मू पे0–स्व0 बरका मुर्मू	विपक्षी सं0–05
कारू मुर्मू पे0–स्व0 रेस्का मुर्मू	विपक्षी सं0–06
सिमरल मुर्मू पे0–स्व0 रेस्का मुर्मू	विपक्षी सं0–07
राम मुर्मू पे0–स्व0 सोनु मुर्मू	विपक्षी सं0–08

सभी साकिन–कुरवा पो0–बामदाह,
थाना–चकाई, जिला–जमुई।

आदेश

सुखला मरण्डी पे0–स्व0 सोमरा मरण्डी के द्वारा विपक्षी सोनामन मुर्मू वगैरह के नाम चल रही जमाबन्दी सं0–47 एवं 95 को रद्द कराने के बावत बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम की धारा–09 (1) अन्तर्गत लाया गया है। आवेदक द्वारा बुधु मुर्मू के नाम कायम जमाबन्दी सं0–47, रकवा–05.01 एकड़ एवं वखौरी साव के नाम से कायम जमाबन्दी सं0–95, रकवा–2.92 एकड़ का फर्जी / बिना आधार के स्थापित नियम के विरूद्ध सृजन होने के आलोक में रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

वाद को स्वीकृत करते हुए विपक्षीगण सोनामन मुर्मू स्व0 झुना मुर्मू वगैरह को नोटिस निर्गत कर वाद में पक्ष रखने को कहा गया।

वाद में निम्नलिखित भूमि सन्निहित है :–

अंचल का नाम	राजस्व ग्राम एवं थाना नं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)	जमाबंदी सं0
1	2	3	4		5
चकाई	कुड़वा / 13	45	410	0.57	47
			412	0.09	95
			414	0.09	
			415	0.19	
			522	0.36	

			523	0.02	
			544	1.50	
			543	0.33	
			545	0.59	
			547	0.58	
			652	0.13	
			654	0.27	
			656	0.22	
			875	0.16	
			876	0.10	
			877	0.92	
कुल				6.12 एकड़	

विपक्षीगण के द्वारा प्रत्युितर दाखिल किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक सुखला मरण्डी, पे0–स्व0 सोमरा मरण्डी का कथन है कि वे खतियानी रैयत रोआ मांझी के पत्नी मंझीली मुर्मू से दिनांक–17.05.1971 को निबंधित केवाला से खाता सं0–45 का उपरोक्त विवरण के खेसरा कुल रकवा–6.12 एकड़ भूमि कय किये तथा दखल कब्जा में आए। उक्त केवाला का दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन अंचल अधिकारी, चकाई को दिया गया। अंचल अधिकारी, चकाई ने वाद सं0–511/73–74 से 6.12 एकड़ के विरूद्ध मात्र 2.09 एकड़ भूमि का दाखिल खारिज किया, जिसका जमाबन्दी सं0–45 है। तत्पश्चात् आवेदक द्वार अंचल अधिकारी, चकाई को शेष रकवा की जमाबन्दी कायम हेतु पुनः आवेदन दिया गया। शेष रकवा के विरूद्ध दाखिल खारिज करने के बावत अंचल अधिकारी, चकाई ने विविध वाद सं0–4/2015–16 आरंभ्भ की तथा कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मॉग की गई।

कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया कि खाता सं0–45 में सन्निहित सभी खेसराओं का कुल रकवा–10.01 एकड़ है। इस रकवा के विरूद्ध 5.01 एकड़ की जमाबन्दी रौया मॉझी एवं तथा शेष 5.00 एकड़ भूमि की जमाबन्दी बुधुगोड़ के नाम चल रही थी जिसका जमाबन्दी सं0–46 एवं 47 कमशः है। कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन है कि रोया मॉझी के नाम कायम जमाबन्दी सं0–46 कुल रकवा–5.01 एकड़ से आवेदक सुखला मॉझी के पक्ष में, दाखिल खारिज वाद सं0–511/73–74 से 2.09 एकड़ तथा वाद सं0–299/65–66 से बखौरी साव के नाम 2.92 एकड़ की जमाबन्दी सं0–95 कायम हुई है। इस प्रकार रोया मॉझी के नाम चल रही जमाबन्दी संख्या–46 में अब कोई रकवा शेष नहीं रह गया है। यह भी बताया गया कि आवेदक सुखला मॉझी के केवाला 6.12 एकड़ के शेष रकवा 4.03 एकड़ (6.12 एकड़–2.09 एकड़) के लिए जमाबन्दी में रकवा उपलब्ध नहीं रहने के कारण जमाबन्दी नहीं कायम हो सकता है।

आवेदक का कहना है कि खाता सं0–45 में सन्निहित 10.01 एकड़ भूमि में सं 6.12 एकड़ भूमि वे विधिवत् प्राप्त किए है। दखल कब्जा भी है तथापि मात्र 2.09 एकड़ का ही दाखिल खारिज हो पाया है। उनके कब्जे/स्वामित्व की भूमि की रकवा की जमाबन्दी गलत तरीके से विपक्षीगण तथा बखौरी साव के नाम कायम हो गई है जिसका जमाबन्दी सं0–47 तथा 95 कमशः है। जिसे रद्द किया जाना चाहिये।

आवेदक का कहना है कि बखौरी साव के पक्ष में खतियानी रैयत द्वारा निष्पादित दस्तावेज "शून्य दस्तावेज " है। आवेदक के अनुसार बखौरी साव के केवाला के Vendor आदिवासी है। बिक्री के पूर्व बिक्रेता को BT act की धारा 49 (G) के तहत समाहर्त्ता से अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित था जो नहीं हुआ। अतएव वखौरी साव के पक्ष में कायम जमाबन्दी सं0–95 गलत दस्तावेज पर सृजत है तथा रद्द योग्य है।

विपक्षीगण के पक्ष में सृजित जमाबन्दी सं0–47, रकवा–5.01 एकड़ का आधार अंचल अधिकारी द्वारा संदिग्ध बताया गया है।

आवेदक के अनुसार विपक्षीगण के पक्ष में कायम जमाबन्दी 47 का आधार अनिबंधित वाजिदनामा है। जबकि 6.12 एकड़ भूमि का मूल्य–100/(एक सौ) रूपये से अधिक है। वाजिदनामा (Deed of relinquishment) का Indian Registration act 1908 के धारा 17 के तहत निबंधित होना अपेक्षित है। अतएव दीवान मुकदमा में दाखिल आवेदन मात्र के आलोक में "निष्पादित–वाद" को जमाबन्दी सृजन का वैध आधार/दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। अतएव विपक्षी के पक्ष में कायम जमाबन्दी रद्द होने योग्य है।

इसके अतिरिक्त आवेदक के पक्ष में वर्ष 1971 में निष्पादित केवाला को सम्प्रति किसी भी न्यायालय से अवैध/शून्य घोषित नहीं किया गया है।

अंचल अधिकारी, चकाई के द्वारा बताया गया कि जमाबन्दी सं0–47 का सृजन किस दाखिल खारिज आदेश से हुआ है, यह तथ्य जमाबन्दी पंजी–2 में उल्लेखित नहीं है। पंजी–2 में दर्ज लगान रसीद सं0–7361232 संदिग्ध है। अंचल के स्टॉक पंजी से इस रसीद का सत्यापन नहीं होता है। विपक्षीगण द्वारा भी इस न्यायालय में जमाबन्दी सृजन संबंधित किसी वाद सं0 या संबंधित कागजात दाखिल नहीं की गई। वर्ष 1996–97 तक ही विपक्षीगण सोनामन मुर्मू वगैरह के नाम रसीद निर्गत है। अंचल अधिकारी, चकाई के प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विपक्षीगण के नाम कायम जमाबन्दी सं0–47 फर्जी है जो कर्मचारी के मेल में पंजी–2 में बिना किसी आदेश के दर्ज कर दिया गया है।

आवेदक के अनुसार विधिवत् तरीके से कायम Long Jamabandi को रद्द नहीं किया जा सकता है। मगर जिस जमाबन्दी का कोई आधार न हो बिना सक्षम प्राधिकार के सहमति से कर्मचारी के मेल से पंजी–2 में दर्ज हो। ऐसे जमाबन्दी को फर्जी जमाबन्दी कहेगे। यह Long term Jamabandi के दायर में नही आयेगा। ऐसी जमाबन्दी को दाखिल–खारिज अधिनियम की धारा 9 (1) के आलोक में रद्दीकरण हेतु लाया गया है।

<u>आवेदक के दावा के विरूद्ध विपक्षीगण का कथन है कि :–</u>

1. विपक्षीगण का कहना है कि वाद में वखौरी साव को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतएव वाद पोषणीय नहीं है।

2. विपक्षीगण का कहना है कि मंझली मुर्मू जौ0–रोआ मांझी (खतियानी रैयत) को खाता सं0–45 के प्रश्नगत 6.12 एकड़ भूमि को बिक्री करने का कोई हकीयत प्राप्त नहीं था।

3. विपक्षीगण का कथन है कि खतियानी रैयत रोआ मांझी (आवेदक के पक्ष में केवाला निष्पादन करने वाला), फंगा माझी एवं शीतल मांझी पे0–सावंला मांझी ने विपक्षीगण के पूर्वज छोटका मांझी पे0–बड़का मांझी के विरूद्ध मुसिफ न्यायालय, जमुई में एक दीवानी वाद सं0–175/199 लाया था।

उक्त वाद में रोआ मॉझी वगैरह ने विपक्षीगण के पूर्वज छोटका मांझी पे0–बड़का मांझी के साथ एक समझौता कर लिया और छोटका मांझी के पक्ष से खाता सं0–45 की समस्त 10.01 एकड़ भूमि का वाजीदावा न्यायालय के समक्ष लिख

A Home Jud

कर पेश किया जिसके आधार पर दीवानी मुकदमा का निष्पादन हुआ।

विपक्षीगण के द्वारा जमाबन्दी सं0–47 के सृजन का आधार मुंसिफ कोर्ट, जमुई के दीवानी वाद सं0–175/1919 में आवेदक के भूमि के केवालादार के पति रोया मांझी एवं अन्य खतियानी रैयत के द्वारा दाखिल वाजिनामा बताया गया है। विपक्षीगण के अनुसार सभी खतियानी रैयत उक्त दीवानी वाद में एक वाजिदनामा दाखिल किए थे कि खाता सं 45 के खतियानी रकवा–10.01 एकड़ पर उनका कोई दावा नहीं है। विपक्षीगण का कहना है कि वाजिदनामा कर देने के वाद रोया मांझी या उसकी पत्नी मंझली मुर्मू को केवाला करने का कोई अधिकार नहीं है। अतएव आवेदक का 6.12 एकड़ का केवाला शून्य दस्तावेज है। ऐसी परिस्थिति में शून्य दस्तावेज के आधार पर आवेदक को वाद लाने का अधिकार नहीं है।

4. विपक्षीगण का कहना है कि मंझीली मुर्मू पे0–रोया मॉझी द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक–17.05.1971 का निष्पादित केवाला जाल, विधि विरूद्ध तथा शून्य है। विपक्षीगण का कहना है कि आवेदक के दिनांक–17.05.1971 का केवाला में खेसरा सं0–543 दर्ज है, जबकि खेसरा सं0–543 का विपक्षी के पूर्वज छोटका मांझी के नाम सिक्कमी खाता सं0–11 खुला हुआ है। सिक्कमी खेसरा को बिकी करने का अधिकार नहीं है। अतएव आवेदक का खेसरा 543 दखल का दावा स्वीकार्य योग्य नहीं है।

5. विपक्षी का कथन है कि प्रश्नगत वाजिदावा के आलोक में जमाबन्दी सं0–47 जमींदारी उन्मूलन के पूर्व कायम हुई। जमींदारी रिर्टन में उनके पूर्वज छोटका मांझी के नाम जमाबन्दी आया और तब से वे लगातार प्रश्नगत भूमि का लगान अदा कर रहे है। भूमि उनके कब्जे में है। साक्ष्य के रूप में लगान रसीद की छाया–प्रति भी संलग्न की गई है।

विपक्षी के द्वारा दीवानी मुकदमा सं0–175/1919 में खतियानी रैयत के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र की छाया–प्रति (अभिप्रमाणित प्राप्त की) दाखिल की गई है।

अभिलेखों/कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि खाता सं0–45 में कुल 10.01 एकड़ भूमि है जिसका आरम्भ में दो जमाबन्दी कायम हुई। 5.01 एकड़ भूमि की खतियानी रैयत रोया मॉझी को पत्नी मंझली मुर्मू तथा 5.0 एकड़ की विपक्षी के पूर्वज बुधु गोड़ के नाम कायम हुई।

आवेदक द्वारा जमाबन्दी सं0–95 को रद्द करने का अनुरोध तो किया है मगर जमाबन्दी रैयत बखौरी साव को पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवेदक द्वारा बखौरी साव के जमाबन्दी को रद्द करने का जो आधार बताया है वह स्वीकार्य योग्य नहीं है। BT Act का धारा 49 (G) के अन्तर्गत बिना अनुमति के अगर बखौरी साव के पक्ष में केवाला निष्पादित है तो इसे तब तक शून्य या रद्द नहीं माना जा सकता है जब तक कि समाहर्त्ता द्वारा BT Act 49 (K) के आलोक में संबंधित केवाला को रद्द नहीं कर दिया जाता है। अतएव बखौरी साव के जमाबन्दी को रद्द करने का जो आधार बताया है वह स्वीकार्य योग्य नहीं है।

विपक्षीगण के द्वारा दावा किया गया कि जमींदार द्वारा उनके पक्ष में रिटर्न दाखिल किया गया है। इस बावत जमींदार राय बहादुर एस0के0 सिन्हा, के द्वारा 5.09.1945 का तथा CHRESTIEN PARTNERSHIP ZEMIDARD के द्वारा छोटका मांझी के पक्ष में खाता सं0–45 का निर्गत रसीद की छाया–प्रति दाखिल की गई है। मगर विपक्षी के द्वारा अपने कथन के पक्ष में रिटर्न की प्रति इस न्यायालय में दाखिल में नहीं की गई है।

खाता सं0–45 में कुल 26 खेसरा है, जिसमें खेसरा सं0–524, 539, 542, 543, 880 एवं 887 कुल रकवा–1.82 एकड़ मात्र का ही सिक्कमी खाता सं0–11

A Home Jud

छोटका मांझी के नाम खुला है। शेष खेसरा, सिक्कमी खेसरा नहीं है। 1.82 एकड़ रकवा का सिक्कमी खाता होने के कारण सिक्कमी खाता सं0–11 एवं 09.19 एकड़ रकवा का खाता सं0–45 पर जमींदार द्वारा रसीद निर्गत किया जाना अपेक्षित था। मगर जमींदार के द्वारा सम्पूर्ण रकवा–10.01 एकड़ का रसीद खाता सं0–45 पे निर्गत किया है। जो रसीद को संदिग्ध बताती है। अतएव जमींवारी रिटर्न के आधार पर विपक्षी के पक्ष में

<u>जमाबन्दी सं0–47 का सृजन होने का दावा स्वीकार्य योग्य नहीं है।</u>

आवेदक के द्वारा 6.12 एकड़ का केवाला पर जमाबन्दी का दावा किया गया है । आवेदक के केवाला में खेसरा सं0–543 भी दर्ज है जबकि इस खेसरा का सिक्कमी खाता छोटका मॉझी के नाम से खोला गया है।

विपक्षी के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य इस न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है कि छोटका मांझी या उसके वारिशानों के द्वारा कभी भी "रैयती–राइट" के लिए सक्षम प्राधिकार के पास BT act की धारा 48 डी0 के तहत दावा किया गया हो और मुआवजा के रूप में लगान का 24 गुणा राशि जमा कर "रैयती–राइट" प्राप्त किया गया हो या किसी न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत केवाला 6.12 एकड़ में से सिक्कमी खेसरा को हटाया गया हो। तथ्यों के आलोक में विपक्षीगण का सिक्कमी खाता सं0–11 के आधार पर जमाबन्दी सं0–47 के दावा को रद्द करने के दावा को स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है।

उक्त तथ्यों तथा अंचल अधिकारी, चकाई के प्रतिवेदन के आलोक में अनिबंधित वाजिदनामा को विपक्षी के पक्ष में कायम जमाबन्दी सं0–47 को वैध नहीं माना जा सकता है। अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा निर्गत रसीद भी संदिग्ध बताया गया है। ऐसी परिस्थिति में जमाबन्दी सं0–47 को विधिवत् कायम भी नहीं माना जा सकता है। इसे Long Term नहीं Fake Jambandi मानना ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होता है। अनिबंधित "वाजिदावा" के आधार पर अचल सम्पति का स्थानांतरण नहीं हो सकता तदनुसार बुधु गौड़ पे0–छोटका मुर्मू के नाम से 5.00 एकड़ की कायम जमाबन्दी सं0–47 रकवा–5.00 को रद्द करने के आवेदक के अनुरोध को स्वीकृत की जाती है। अंचल अधिकारी, चकाई को निदेश दिया जाता है कि जमाबन्दी सं0–417 में निहित संबंधित खेसरा, रकवा–5.00 एकड़ खारिज कर पुराने जमाबन्दी में हस्तांतरण करें। ताकि आवेदक के पक्ष में नियमानुसार शेष रकवा–4.03 एकड़ की दाखिल खारिज की कार्रवाई सक्षम प्राधिकार से की जा सके।

आदेश की प्रति विपक्षी, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई एवं अंचल अधिकारी, चकाई को आवश्यक कार्यार्थ भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु DIO, NIC, Jamui को भी भेजें।

19/3/18

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
जमुई
19/3/18

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 234. /रा0, दिनांक– 19.03.2018

प्रतिलिपि–विपक्षीगण/अंचल अधिकारी, चकाई/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/3/18

अपर समाहर्त्ता, जमुई।

A Home Jud

D.I.O